

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 264/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजपार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री नरेन्द्र भाटिया पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश भाटिया
2. श्रीमती रूपा भाटिया पत्नी श्री नरेन्द्र भाटिया
पता- प्लाट नम्बर 158, डिफेन्स कॉलोनी, संस्कार स्कूल के पास, शिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर।
3. श्री दिनेश उपाध्याय पुत्र श्री आर. के. उपाध्याय
पता- 1-घ-17, जवाहर नगर, जयपुर।
4. श्री किशन लाल अरोडा पुत्र श्री संत लाल अरोडा
पता-प्लाट नं. ए-20, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर जयपुर।
5. मैसर्स भाटिया ट्रान्सपोर्ट रोडवेज जरिये प्रो. श्री नरेन्द्र भाटिया पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश भाटिया
पता-ए-19 ट्रक स्टेण्ड, आगरा रोड, जयपुर।

प्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:-रीना वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 02.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी मैसर्स भाटिया ट्रान्सपोर्ट रोडवेज के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नं. ए-19 ट्रक स्टेण्ड आगरा रोड जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 13.03.2003 को राशि 7,50,000/-रुपये एवं दिनांक 17.05.2004 को राशि 3,00,000/- एवं दिनांक 20.01.2018 को 12,00,0000/ रुपये कुल राशि 22,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 22,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 18,86,364/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.10.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स भाटिया ट्रान्सपोर्ट रोडवेज के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नं. ए-19 ट्रक स्टेण्ड आगरा रोड जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का पालन पाबन्द करें।
6. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५१०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर